260

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0 के0 सिंह,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 977-दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-2-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक अपील 251/अ-6/2009-10.

.....

1- मानसिंह पिता श्री ज्वाला सिंह
2- सीताराम पिता श्री ज्वालासिंह
3- खेतसिंह पिता श्री ज्वाला सिंह
सभी निवासी मौजा बम्हनी कोहामोटा
तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

ज्वालासिंह पिता स्व. कोदूलाल
निवासी शारदा चौक जबलपुर
तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0 ---- अनावेदक

.....

श्री सुरेश मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक ।
श्री ए0के0 गौतम, अभिभाषक, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-9-2016 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 251/अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 28-2-14 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मगरथा प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. श्रीनगर स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 129/1 एवं 157/1 रकबा क्रमशः 1.857 एवं 0.231

हैक्टर के भूमिस्वामी आवेदकगण के बाबा एवं अनावेदक के पिता कोदूलाल थे । स्व. कोदूलाल ने आलोच्य भूमि की वसीयत अपने नातियों (आवेदकगण) को दिनांक 24-2-1984 को की गई । कोदूलाल की मृत्यु उपरांत आवेदकों का नामांतरण वसीयत के आधार पर आदेश दिनांक 19-11-89 को किया गया । आवेदकगण ने दिनांक 11-5-1992 को विवादित भूमि का विक्रय जितेन्द्र सिंह बल्द दौलत सिंह एवं नारायण सिंह वल्द खुमानसिंह को किया गया । अनावेदक द्वारा तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 19-11-1989 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 2008 में 19 वर्ष उपरांत अपील पेश की । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11-1-10 द्वारा अनावेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस कारण बताने में असमर्थ रहने, विवादित भूमि विक्रय हो जाने एवं अन्य निर्मित वास्तविक परिस्थितियों पर वाद में स्वत्व का प्रश्न निहित होने पर अनावेदक को वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सहायता की स्वतंत्रता के साथ अनावेदक की अपील निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील पेश की । अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए उभयपक्षों को सुनकर विधिवत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वसीयतकर्ता मृतक कोदूलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी सारी संपत्ति का विधिवत बटवारा कर उक्त भूमि अपने नातियों आवेदकों को वसीयत के द्वारा प्रदान करदी थी । बाबा की संपत्ति पर नातियों (आवेदकगण) का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत न केवल जन्म से अधिकार है बल्कि बाबा ने अपने जीवनकाल में अपने स्वामित्व की भूमियों को नातियों आवेदकगण को वसीयत कर अधिकार सौंप दिया था ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद निर्मित न हो सके । वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमियों पर विधिवत आवेदकों का नामांतरण वसीयत के आधार पर किया गया था । अनावेदक द्वारा दो पत्नियों व उनसे उत्पन्न संतानों को

बेखबर कर अपने हक की लगभग 11 एकड़ भूमि खुर्द-बुर्द कर दी है अब उसकी दूषित मंशा अपने ही बच्चों की संपत्ति पर रही जो वाद का कारण बनी है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों का नामांतरण होने के उपरांत आवेदकों ने अपनी जरूरतों के चलते अपने हक की उक्त संपत्ति का विक्रय 11-5-1992 को क्रेता जितेन्द्र सिंह बल्द दौलतसिंह एवं नारायण सिंह बल्द खुमानसिंह के पक्ष में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था । उक्त तथ्यों की जानकारी अनावेदकों को प्रारंभ से थी । अपर आयुक्त ने उक्त अहम तथ्यों पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक ने 18 वर्ष 2 माह 26 दिन बाद यह कहते हुए अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई कि उसे तहसीलदार के आदेश दिनांक 19-11-1989 की जानकारी 7-2-2008 को हुई किंतु इस विलंब के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं दिये जाने से अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की अपील निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की थी ।

यह तर्क दिया गया कि जिस दिनांक को अनावेदक द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई उस समय प्रश्नाधीन भूमियों पर क्रेतागण का नाम अंकित था किंतु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया । उन्हें पक्षकार बनाए बिना विवादित संपत्ति पर हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक मंशा के प्रतिकूल होगा ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता पर विचार किये बिना मात्र धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर अस्पष्ट परिवेदित आदेश के तहत उभयपक्ष को सुनकर विधि के प्रावधान के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि प्रथम तो अनुविभागीय अधिकारी का ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को मात्र विलंब के आधार पर निरस्त नहीं किया है बल्कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने के मुख्य आधार पर निरस्त किया गया है, इस तथ्य को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है कि संहिता में वर्ष 31.12.2011 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय को प्रकरण के प्रत्यावर्तित करने के अधिकार नहीं हैं ।

अपर आयुक्त को प्रकरण का निराकरण स्वयं गुणदोष पर करना चाहिए था । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा 19.11.89 को वसीयत के आधार पर आवेदकों का नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया है । उक्त प्रकरण में अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिनांक 19-11-89 से 15-2-2008 तक की अवधि माफ किए जाने बावद आवेदन पेश किया था और उसमें दर्शाए गए कारण को अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है इस कारण अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है आवेदकों को अपनी बात कहने का अवसर अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्राप्त होगा । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना त्रुटिपूर्ण होगा ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में जो आवेदकगण हैं वे अनावेदक के पुत्र हैं । आवेदकगण का नामांतरण तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर आदेश दिनांक 19-2-1989 को किया गया था । तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर किए गए आवेदकगण के नामांतरण के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 18 वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है । विलंब के संबंध में अनावेदक की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में यह कहा गया है उसे उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 07-2-2008 को हुई थी । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक द्वारा जानकारी का जो दिनांक बताया गया है वह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अनावेदक, आवेदकगण का पिता है और आवेदकों के पक्ष में हुए नामांतरण की जानकारी लगभग 19 वर्ष तक अनावेदक को न होना व्यवहारिक रूप से मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अनियमित या अन्यायिक

कार्यवाही नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त नामांतरण होने के उपरांत दिनांक 11-5-1992 को आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय जितेन्द्र सिंह बल्द दौलतसिंह एवं नारायण सिंह वल्द खुमानसिंह को कर दिया गया है इससे प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित हो गया है कारण प्रश्नाधीन भूमि के क्रेता सद्भाविक क्रेता हैं और यदि आवेदकगण का नामांतरण निरस्त कर दिया जाता है तब निश्चित रूप से आवेदकगण को किसी प्रकार कोई क्षति न होकर क्रेताओं को क्षति होगी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित है और जिसके निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को अनावेदक की अपील को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गइ है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है प्रथमतः उनके द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि प्रकरण में प्रत्यावर्तित करने का कोई आधार विद्यमान नहीं है । द्वितीय संहिता की धारा 49 में दिनांक 30-12-11 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने अधिकारिता नहीं रह गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में प्रत्यावर्तित करने का कोई आधार न होते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की गई है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-2-14 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-1-2010 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर